संख्या : 2472/जी0एस0(शिक्षा)/A15-17/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 3527 दिनांक 07 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ज्योलीकोट, नैनीताल को बी0–एससी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2018–19 एवं 2019–20 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (यथा संशोधित) की धारा–36 (1) की व्यवस्थानुसार संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ज्योलीकोट, नैनीताल	बी0–एससी0 (नर्सिंग)	60 सीट	2019–20

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3– यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यकमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यकमों के सम्बन्ध में पाठ्यकमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

4– प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं संस्थान का सोसायटी पंजीकरण का नवीनीकरण कराते हुये उसकी सत्यापित प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

5– विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अध्ययन छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु किये गये M.O.U सम्बन्धी साक्ष्य इस सचिवलय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

6– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अतिरिक्त उपरोक्त बिन्दु 02 से 04 में वर्णित कमियों को पूर्ण करते हुये तत्सम्बन्धी अभिलेखों सहित पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2472 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A15-17/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य–नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ज्योलीकोट, नैनीताल।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।